तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27 04/18	पत्रावली पेश हुई। वकील बादी एवं प्रार्थी बादी की ओर से अवाजे मुकदमा गैर हाजिर परन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली प्रार्थी बादी की आदम-हाजरी आदम की की में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ल से कमी मगर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner